Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Jamabandi Cancellation Revision Case No.- 44/2024]

Mithilesh Paswan & Others ....Appellant

Versus

The State of Bihar..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.8.2025	(see order below)	

20.8.2025

आदेश

यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा के जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0-07/2017 में दिनांक-06.6.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नवत है :-

मौजा	थाना	जमाबंदी नं0	खाता (नया)	खेसरा (नया)	रकवा
फुलौत	88	5065	1934	1226	70 डी0

दिनांक-8.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अंचल अधिकारी, चौसा का प्रतिवेदन प्राप्त है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR आदि के अवलोकन से यह तथ्यात्मक स्थिति दृष्टिगत होता है कि प्रश्नगत जमीन हाल सर्वे खतियान के अनुसार अनावाद बिहार सरकार दर्ज है। पूराने सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ आम दर्ज है। वेस्टिंग रिटर्न के आधार पर जमाबंदी बिहार सरकार के नाम दर्ज है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रश्नगत जमीन पर Title/Right के अपने दावे के संबंध में Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। संबंधित कागजातों के आधार पर यह स्थापित होता है कि प्रश्नगत जमीन सरकारी भूमि है। जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से अवैध दावा किया जा रहा है। जो विधिमान्य नहीं है।

निम्न न्यायालय- अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-06/2017, में दिनांक-20.09.2017 को पारित आदेश एवं न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद संख्या-07/2017 में संगत तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों की विवेचना करते हुए यथोचित Finding के आधार पर आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है।

अतः इस Revision वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेंजे।

20/8/2025

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

20/8/2025

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।